

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मध्य इनिशयल्स जज

नम्बर व
अहकाम र
हुक्म की
में जारी

३-२३

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक २२-६-२३ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

२५/६

पत्रावली मंगई शक्ति कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान २०२३ ग्राम पंचायत भेजा में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.पत्र दिया गया। पत्रावली फ़ैसल छुट्टार होकर अन्तर से कम ही।

हुक्मीवन्द प्रहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान २०२३

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी- हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 90/23 प्राप्प

1- श्रीमती जगदुषी श्री मांगु वलाई निवासी- मालपुरा तहसील- माण्डल (कौरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री नन्दराग शि. श्री उदा गाड़ी निवासी- मालपुरा तहसील- माण्डल (कौरा)
(संबंधित प्राप्पारतंग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 24.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की आर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालपुरा पटवार हल्का पीथारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 381, 380/1 कुल किता 02 रकबा 0.7841 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम मालपुरा पटवार हल्का पीथारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 381, 380/1 कुल किता 02 रकबा 0.7841 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीथारा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

हुकमी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023